

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर दिनांक: 07/04/2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2022-23 में अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके इस दृष्टि से प्रशासन शहरों के संग अभियान-21 की अवधि दिनांक 31.03.2023 बढ़ाए जाने की घोषणा पश्चात् दिनांक 24.03.2022 को समस्त छूट/शिथिलताएँ/दरें एवं शक्तियाँ पूर्वानुसार यथावत रखते हुए आदेश जारी किये गये है। इसी क्रम में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में शिविर दिनांक 01.05.2022 से लगाये जावें।

अभियान का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पट्टे दिये जावें साथ ही शिविरों का कार्यक्रम भी राज्य सरकार को भिजवाया जावें।



(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग



(कुंजीलाल मीणा)  
प्रमुख शासन सचिव  
नगरीय विकास विभाग

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त आयुक्त/सचिव, प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, राजस्थान।
11. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल।
12. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
13. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम